

SSC FOUNDATION



सम्यान 1.0 बैच



CONSTITUTION

EXECUTIVE OF THE UNION

(संघ की कार्यकारी)

समय से तैयारी, समय से सफलता

DAILY LIVE: 12 PM

BY-PAWAN SIR



WELCOME TO



Preparing Bharat, Empowering Futures

airGurukul Institute for Career Growth

www.airgurukul.com

Powered by Prince Edutech Private Limited

Disclaimer

This presentation, lecture, and all related study materials have been created and published by **airGurukul Institute for Career Growth**, a unit of ***Prince Edutech Private Limited***, for **educational and informational purposes only**. While every effort has been made to ensure the accuracy and reliability of the content, **airGurukul** does not guarantee that the information is absolutely current or free from error. Examination patterns, syllabus, and official notifications are subject to change by respective authorities, and students are strongly advised to **verify details from official sources before making any decisions**.

All third-party materials including logos, questions, references, or data used within this content are **solely for educational illustration and fair-use academic discussion**. Their ownership and copyrights remain with their respective owners. **airGurukul** shall not be held liable for any loss, damage, or consequence arising directly or indirectly from the use of this information.

By attending this session, viewing this content, or using the provided materials, the viewer acknowledges and agrees to this disclaimer. **Unauthorized recording, copying, or redistribution of this content in any form is strictly prohibited**.

Article 63–

“भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा।”

भाग / Part :- 5

Art :- 52-151

- ❑ यह अनुच्छेद भारत में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान करता है। उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है, राष्ट्रपति के बाद।
- ❑ यह अनुच्छेद बहुत छोटा है और केवल इस पद की स्थापना का उल्लेख करता है, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव, अधिकार, कर्तव्य, योग्यता और पद से हटाने से संबंधित विस्तृत प्रावधान संविधान के **अनुच्छेद 64 से 71** तक दिए गए हैं।

संघ की कार्यपालिका :- Art :- 52-78

मुख्य बिंदु:

- उपराष्ट्रपति का पद एक संवैधानिक पद है जिसे शासन की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है।
- उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति (Chairman) होते हैं।
- यदि राष्ट्रपति इस्तीफा दे दें, मृत्यु हो जाए, हटा दिए जाएं या कार्य करने में असमर्थ हों, तो उपराष्ट्रपति अस्थायी रूप से राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते हैं (जब तक नया राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं हो जाता)।
- उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है।
- उपराष्ट्रपति का पद अमेरिकी संविधान से प्रेरित है, किंतु अंतर यह है कि अमेरिका में उपराष्ट्रपति स्वतः राष्ट्रपति बन जाते हैं, जबकि भारत में यह केवल अंतरिम व्यवस्था होती है।

Article 63 of the Constitution of India states:

"There shall be a Vice-President of India."

This article provides for the office of the **Vice-President in India**. The Vice-President is the **second highest** constitutional office in the country after the President. The Article itself is very short and simply mentions the creation of the post, but the details about the election, powers, functions, qualifications, and removal of the Vice-President are elaborated in **Articles 64 to 71** of the Constitution.

Key Points:

The post of the Vice-President is a constitutional office established to ensure continuity of governance.

The Vice-President acts as the ex-officio Chairman of the Rajya Sabha (Council of States).

The Vice-President can also perform the functions of the President if the President resigns, dies, is removed, or otherwise becomes unable to discharge duties (till a new President is elected).

The Vice-President is elected indirectly by the members of both Houses of Parliament.

The office of Vice-President is inspired by the American Constitution, but with some differences (in the US, the Vice-President automatically succeeds the President permanently, whereas in India, it is only until a new President is elected).

Article 64–

The Vice-President to be ex-officio Chairman of the Council of States (Rajya Sabha)

उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा

मुख्य बिंदु:

पदेन सभापति (Ex-officio Chairman):

उपराष्ट्रपति अपने पद के कारण स्वचालित रूप से राज्यसभा का सभापति बन जाता है।

उसका मुख्य कार्य राज्यसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता करना और अनुशासन बनाए रखना है।

लाभ का अन्य पद धारण न करना:

उपराष्ट्रपति किसी अन्य लाभ का पद धारण नहीं कर सकता।

यह व्यवस्था इसलिए है ताकि उसकी संवैधानिक जिम्मेदारियाँ निष्पक्षता और स्वतंत्रता के साथ निभाई जा सकें।

राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य:

बहस और चर्चाओं को संचालित करना।

सदन में शांति और अनुशासन बनाए रखना।

कार्यवाही के दौरान उठाए गए बिंदु-ए-व्यवस्था (Points of Order) पर निर्णय देना।

बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत देना (विशेष परिस्थितियों में)।

सदन की कार्यवाही को सुचारु रूप से चलाना।

लोकसभा अध्यक्ष से तुलना:

लोकसभा में सभापति (Speaker) सदन का निर्वाचित सदस्य होता है।

राज्यसभा में सभापति सदस्य नहीं होता, बल्कि उपराष्ट्रपति होता है।

Ex-officio Chairman:

The Vice-President automatically becomes the Chairman of the Rajya Sabha by virtue of his office (ex-officio).

His main role is to preside over the meetings of the Rajya Sabha and maintain its order and discipline.

No Office of Profit:

The Vice-President is not allowed to hold any other office of profit simultaneously.

This ensures his independence and neutrality while performing constitutional duties.

Functions as Chairman of Rajya Sabha:

Regulates debates and discussions.

Maintains decorum in the House.

Decides on points of order.

Casts a decisive vote in case of a tie (only in certain circumstances).

Ensures smooth functioning of the Rajya Sabha.

Comparison with Lok Sabha Speaker:

In Lok Sabha, the Speaker is an elected member of the House, whereas in Rajya Sabha, the Vice-President (not a member) acts as Chairman.

Article 65—The Vice-President to act as President in certain contingencies

अनुच्छेद 65 – कुछ परिस्थितियों में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा

• राष्ट्रपति के रूप में कार्य (रिक्ति की स्थिति):

- यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु, इस्तीफा, हटाए जाने या अन्य किसी कारण से रिक्त हो जाता है, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे।
- यह व्यवस्था तब तक रहेगी जब तक नया राष्ट्रपति 6 माह के भीतर निर्वाचित नहीं हो जाता (अनुच्छेद 62 के अनुसार)।

• कर्तव्यों का निर्वहन (अस्थायी अनुपस्थिति):

- यदि राष्ट्रपति किसी बीमारी, अनुपस्थिति या अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ होते हैं, तो उपराष्ट्रपति अस्थायी रूप से राष्ट्रपति के कार्य करेंगे।

• अधिकतम अवधि:

- उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक ही राष्ट्रपति का कार्य कर सकते हैं। इस अवधि में नए राष्ट्रपति का चुनाव आवश्यक है।

• शक्तियाँ और विशेषाधिकार:

- इस अवधि में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की सभी शक्तियाँ, विशेषाधिकार और संरक्षण प्राप्त होते हैं।

• वेतन:

- राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने के दौरान उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, न कि उपराष्ट्रपति का।

• ऐतिहासिक उदाहरण:

- 1969 में राष्ट्रपति डॉ. ज़ाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी। उस समय उपराष्ट्रपति वी.वी. गिरि ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। बाद में, भारत के मुख्य न्यायाधीश एम. हिदायतुल्लाह ने भी कुछ समय के लिए राष्ट्रपति का पद संभाला, जब तक कि नया चुनाव नहीं हो गया।

- Acting as President (Casual Vacancy):

- If the office of the President becomes vacant due to death, resignation, removal, or otherwise, the Vice-President shall act as the President until a new President is elected within 6 months.

- Discharge of Functions (Temporary Vacancy):

- If the President is unable to discharge his functions due to illness, absence, or any other reason, the Vice-President discharges the functions of the President until the President resumes office.

- Limit on Acting Period:

- The Vice-President can act as President only for a maximum of 6 months, within which a new President must be elected as per Article 62.

- Powers and Immunities:

- While acting as President, the Vice-President has all the powers, privileges, and immunities of the President.

- Salary:

- During this period, the Vice-President is entitled to the salary and allowances of the President, not of the Vice-President.

- Historical Example:

- In 1969, when President Dr. Zakir Hussain died in office, Vice-President V.V. Giri acted as President. Later, Justice M. Hidayatullah (Chief Justice of India) also acted as President for a brief period until a new election was held.

Article 66 of– Election of Vice-President

उपराष्ट्रपति का निर्वाचन

उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की निर्वाचन मंडल (Electoral College) द्वारा किया जाएगा, जो एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होगा और मतदान गुप्त मतदान द्वारा होगा।

उपराष्ट्रपति संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता।

यदि वह सदस्य है, तो पद ग्रहण करते समय उसकी वह सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी।

उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति –

✓ भारत का नागरिक होना चाहिए,

✓ उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए,

✓ और वह राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य होना चाहिए।

यदि कोई व्यक्ति भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन लाभ का पद धारण करता है, तो वह उपराष्ट्रपति बनने के योग्य नहीं होगा (सिवाय उन पदों के जिन्हें संसद ने अपात्रता से मुक्त घोषित किया हो)।

संसद द्वारा पारित

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952

(Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952) के तहत किसी भी उम्मीदवार के नामांकन के लिए कम से कम **20 सांसद (MP) प्रस्तावक** (proposers) और **20 सांसद (MP) अनुमोदक** (seconders) होने चाहिए

निर्वाचन मंडल (Electoral College):

- राष्ट्रपति के विपरीत (जहां सांसद और विधायक दोनों वोट देते हैं),
- उपराष्ट्रपति का चुनाव केवल सांसदों (लोकसभा + राज्यसभा) द्वारा किया जाता है।
- इसमें दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं।

कुल सदस्य:- निर्वाचित
+ मनोनीत

मतदान की प्रणाली:

- चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली (Proportional Representation) से होता है।
- मतदान की विधि एकल हस्तांतरणीय मत (Single Transferable Vote) होती है।
- मतदान गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है।

अप्रत्यक्ष मतदान
जबल भाग नहीं लेगी

उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता:

- भारत का नागरिक होना चाहिए।
- न्यूनतम आयु 35 वर्ष।
- राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए।

Key Points:**Electoral College:**

Unlike the President (who is elected by both MPs and MLAs), the Vice-President is elected only by Members of Parliament (Lok Sabha + Rajya Sabha).

Elected + Nominated members of both Houses participate.

Voting Method:

The election is held by Proportional Representation using the Single Transferable Vote (STV) system.

Voting is done by secret ballot.

Qualifications for Vice-President:

Must be a citizen of India.

Must be at least 35 years old.

Must be eligible for election as a Rajya Sabha member.

Disqualifications:

Cannot hold any office of profit under Union, State, or local authority.

Certain offices (like President, Vice-President, Governor, Minister) are not considered offices of profit for this purpose.

Resignation from Membership:

If elected Vice-President, and he is already a member of Lok Sabha, Rajya Sabha, or State Legislature, his seat becomes vacant automatically.

Article 67– Term of office of Vice-President / उपराष्ट्रपति के पद की अवधि

कार्यकाल:

Tenure: - 5Y

- सामान्य अवधि = 5 वर्ष।
- लेकिन यदि उत्तराधिकारी नहीं चुना गया है, तो वर्तमान उपराष्ट्रपति पद पर बने रहते हैं।

इस्तीफ़ा:

- उपराष्ट्रपति कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित पत्र लिखकर इस्तीफ़ा दे सकते हैं।

पद से हटाना (Removal):

- कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी हटाए जा सकते हैं।
- इसके लिए आवश्यक है:
 - ✓ राज्यसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित होना।
 - और उस प्रस्ताव को लोकसभा द्वारा स्वीकृत किया जाना।
- ध्यान दें: राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया (महाभियोग) कठिन है, जबकि उपराष्ट्रपति को हटाना अपेक्षाकृत सरल है।
- पद पर निरंतरता:
 - 5 वर्ष पूरे होने के बाद भी यदि नया उपराष्ट्रपति नहीं चुना गया है, तो वर्तमान उपराष्ट्रपति तब तक पद पर बने रहते हैं जब तक उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता।
- पुनः निर्वाचन:
 - उपराष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं।

Key Points in Detail:

Term of Office:

Normal tenure = 5 years.

However, he continues till his successor takes over (to avoid a vacuum).

Resignation:

The Vice-President can resign anytime by writing a letter addressed to the President of India.

Removal:

The Vice-President can be removed before the completion of his term.

Removal requires:

A resolution of Rajya Sabha, passed by a majority of all its members.

This resolution must be agreed to by the Lok Sabha.

Note: Unlike the President (who is removed by impeachment), the Vice-President's removal procedure is simpler.

Continuity in Office:

Even after 5 years, if a new Vice-President is not elected, the sitting Vice-President continues till the successor assumes office.

Re-election:

A Vice-President is eligible for re-election.

Article 68– Time of holding election to fill vacancy in the office of Vice-President and the term of office of person elected to fill the casual vacancy

अनुच्छेद 68 – उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति होने पर चुनाव कराने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने हेतु निर्वाचित व्यक्ति का कार्यकाल

यथाशीघ्र भरना है

Article 69– Oath or affirmation by the Vice-President

अनुच्छेद 69 – उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

- 3rd Schedule
अनुसूचि

शपथ दिलाने वाला अधिकारी:

The President of India administers the oath to the Vice-President.

✓ उपराष्ट्रपति को शपथ भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं।

If the President is absent, some person appointed by him can administer it.
यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित हों, तो उनके द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति शपथ दिला सकता है।

अनुच्छेद 70 (Article 70) – अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन

Article 70 – Discharge of President's Functions in Other Contingencies

"संसद ऐसी किसी आकस्मिकता में, जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है, राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगी जो वह ठीक समझे।"

"Parliament may make such provision as it thinks fit for the discharge of the functions of the President in any contingency not provided for in this Chapter."

यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो जाएँ या दोनों अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हों, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेंगे। यदि CJI उपलब्ध न हों, तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश यह कार्य करेंगे।

- अनुच्छेद 70 संसद को अवशिष्ट (Residuary) शक्ति प्रदान करता है।
- इसमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं दिया गया है।
- यह केवल संसद को व्यवस्था बनाने का अधिकार देता है।
- CJI द्वारा राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन संविधान में नहीं, बल्कि **President (Discharge of Functions) Act, 1969** में वर्णित है।

अनुच्छेद 71 (Article 71) – राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद

Article 71 – Matters Relating to, or Connected with, the Election of the President or Vice-President



Article 71(1)

राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न होने वाले सभी संदेहों और विवादों की जांच तथा निर्णय उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) द्वारा किया जाएगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।

All doubts and disputes arising out of or in connection with the election of the President or Vice-President shall be inquired into and decided by the Supreme Court, whose decision shall be final.

Article 71(2)

यदि उच्चतम न्यायालय किसी व्यक्ति का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन अमान्य घोषित कर देता है, तब भी उसके द्वारा पद पर रहते हुए किए गए कार्य वैध बने रहेंगे।

If the election of a person as President or Vice-President is declared void by the Supreme Court, the acts done by him before such declaration shall remain valid.

Article 71(3)

संसद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी भी विषय को विनियमित करने के लिए कानून बना सकती है।

Parliament may by law regulate any matter relating to or connected with the election of the President or Vice-President.

Article 71(4)

राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को केवल इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचन मंडल (Electoral College) में कोई रिक्ति थी।

The election of a President or Vice-President cannot be challenged merely on the ground that there was a vacancy among the members of the Electoral College.

इंदिरा गांधी

1975 के **39th Constitutional Amendment** द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव संबंधी विवादों को न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया था।

बाद में **Indira Nehru Gandhi v. Raj Narain** मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस व्यवस्था को असंवैधानिक घोषित कर दिया।

राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम, 1952

Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952

यह अधिनियम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, नामांकन, जांच, मतदान, मतगणना और चुनाव याचिकाओं का प्रावधान करता है।

This Act regulates nominations, scrutiny, polling, counting of votes, and election petitions relating to the President and Vice-President.

★ ★ ★ ★ अनुच्छेद 72 (Article 72) – राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति

Article 72 – Power of President to Grant Pardons

राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति की सजा को क्षमा (Pardon), प्रविलंबन (Reprieve), विराम (Respite), परिहार (Remission), निलंबन (Suspension), लघुकरण (Commutation) करने की शक्ति प्राप्त है।

The President has the power to grant pardon, reprieve, respite, remission, suspension, or commutation of punishment of a convicted person.

अनुच्छेद 72(1) – राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किन मामलों में लागू होती है?

(a) Cases where punishment is by Court Martial

सैन्य न्यायालय (Court Martial) द्वारा दी गई सजा में राष्ट्रपति हस्तक्षेप कर सकता है।

The President can grant relief in cases where punishment has been awarded by a Court Martial.

(b) Offences against laws relating to matters under Union Executive Power

ऐसे अपराध जिन पर संघ सरकार की कार्यपालिका शक्ति लागू होती है।

Offences against laws concerning matters to which the executive power of the Union extends.

(c) All Cases of Death Sentence

मृत्युदंड चाहे किसी भी कानून के अंतर्गत दिया गया हो, राष्ट्रपति उसे क्षमा, निलंबित या परिवर्तित कर सकता है।

In every case where the sentence is death, the President may grant pardon or alter the punishment.

THANK YOU



Preparing Bharat, Empowering Futures

airGurukul Institute for Career Growth
www.airgurukul.com

Follow Us |       

Powered by **Prince Edutech Private Limited**